बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–08 / आ०5–25 / 2022..... / जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 291 दिनांक 04.05.2022 द्वारा श्री यदुवंश यादव, तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय पत्रों / निदेशों / उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, प्रतिनियोजन रद्द किये जाने के बावजूद मो० मंसूर आलम, शिक्षक को लंबी अवधि तक प्रतिनियोजित रखना एवं विद्यालय में योगदान हेतु विरमित नहीं करने का प्रतिवेदित किया गया।

उक्त के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 544 दिनांक 12.07.2022 द्वारा श्री यादव से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री यादव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 114 दिनांक 16.02.2023 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद से मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गयी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 185 दिनांक 11.04.2023 द्वारा प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन अस्पष्ट रहने के कारण प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 514 दिनांक 20.06.2023 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद से पुनः मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 848 दिनांक 26.09.2025 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

श्री यादव के विरूद्ध प्राप्त आरोप तदालोक में प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। उक्त संदर्भित मामले की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री यादव द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद के पद पर दिनांक 21.09.2020 को योगदान किया गया। श्री यादव के योगदान के उपरांत उनकी कार्यावधि में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), औरंगाबाद के ज्ञापांक 381 दिनांक 13.12.2020 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान), औरंगाबाद के ज्ञापांक 1374 दिनांक 21.10.2021 द्वारा श्री मंसूर आलम, सहायक शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, ओर, कुटुम्बा के प्रतिनियोजन को रद्द करने संबंधी आदेश निर्गत करने के बावजूद श्री यादव द्वारा श्री मंसूर आलम के प्रतिनियोजन को रद्द नहीं किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 642 दिनांक 19.04.2022 द्वारा श्री मंसूर आलम के प्रतिनियोजन को रद्द करने के संबंध में जब श्री यादव से स्पष्टीकरण किया गया तब उनके पत्रांक 205 दिनांक 22.04.2022 द्वारा श्री आलम को अपने मूल विद्यालय में योगदान करने हेतु विरमित किया गया। समीक्षोपरांत आरोपी पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने हेतु एक और मौका देते हुए V.C. के माध्यम से दिनांक 02.02.2026 को सुनवाई की गई। उक्त सुनवाई में श्री यादव द्वारा कोई ठोस साक्ष्य / पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त

1

से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गई है, जो कि इनकी कर्त्तव्यहीनता है।

अतः विचारोपरान्त श्री यदुवंश यादव, तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद–सम्प्रति–सेवानिवृत्त को दो वर्ष के लिए 3% (तीन प्रतिशत) पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह0/–

(विक्रम विरकर)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांकः–08/आ०5–25/2022–221 पटना, दिनांक 13.02.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा–17), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), औरंगाबाद/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ श्री यदुवंश यादव, तत्कालीन प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, कुटुम्बा, औरंगाबाद–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, आवासीय पता–मोहल्ला–जयपालपट्टी, वार्ड नं०–15, पो०+थाना–मधेपुरा, जिला–मधेपुरा–852113, मो० नं०–9431413400 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

13/02/26

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)